

M.P. TRADE AND INVESTMENT FACILITATION CORPORATION LTD.

(Government of Madhya Pradesh Undertaking)



क्रमांक/ट्रायफेक/प्रशासन/2017/ 2183

भोपाल, दिनांक 27/07/2017

आदेश

राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 1(1) 16/2016/बी-ग्यारह दिनांक 09.05.2017 द्वारा मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. (एम.पी.ट्रायफेक) एवं उसकी सहायक कम्पनियों, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन एवं इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन, ग्वालियर (ए.के.व्ही.एन.) की एकीकृत संगठनात्मक संरचना (सेटअप) को अनुमोदित किया गया है एवं इस संबंध में आवश्यक सेवा शर्तों के निर्धारण, नियम बनाने, जारी करने एवं उन्हें क्रियान्वित करने के लिये प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रायफेक को अधिकृत किया गया है।

इस अनुक्रम में अंगीकृत सेटअप तथा स्वीकृत "मध्यप्रदेश ट्रायफेक सेवा नियम-2017", एतद् द्वारा, जारी आदेश दिनांक से प्रभावशील किये जाते हैं।

(डी. पी. आहूजा)
प्रबंध संचालक

पृष्ठांकन क्रमांक/ट्रायफेक/प्रशासन/2017/

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. समस्त प्रबंध संचालक, ए.के.व्ही.एन.स एवं आईआईडीसी ग्वालियर।
3. मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन), एमपी ट्रायफेक।

संलग्न:-"मध्यप्रदेश ट्रायफेक सेवा नियम - 2017" की प्रति।

प्रबंध संचालक